न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सिरोही

पीठासीन अधिकारी : रूपा गुप्ता (DJ Cadre)

जमानत आवेदन संख्या : 135/2026 (C.I.S No.135/2026)
F.I.R. सं. : 82/2025
अन्तर्गत धारा : **111(2), 127(2), 310(2) बी.एन.एस.**
पुलिस थाना : बरलूट

01. **जोशी उर्फ जोशीया उर्फ जोशीराम** पुत्र केसाराम उम्र 25 वर्ष निवासी मनावतो की फली कालीबोर उपला भीमाणा पुलिस थाना नाणा जिला पाली
02. **मोहन उर्फ मोवनाराम उर्फ दिनेश पुत्र प्रेमाराम उर्फ पेमाराम** उम्र 22 वर्ष निवासी हेरल खुर्द ग्राम पंचायत डांग पुलिस थाना बेकरिया जिला उदयपुर

——प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य **——अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थिति :
1. श्री मदनसिंह राव अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण
2 श्री लक्ष्मणसिंह बाला, लोक अभियोजक राज्य की ओर से

आदेश

दिनांक : 18.03.2026

1. **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जोशी उर्फ जोशीया व मोहन उर्फ मोवनाराम उर्फ दिनेश** की ओर से धारा **483 बीएनएसएस** के अन्तर्गत जमानत का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नकल प्रार्थना पत्र लोक अभियोजक को दिलायी गई। बहस जमानत दरख्वास्त सुनी गई।

2. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने आपराधिक गृहअतिचार नहीं किया है, न ही कोई चोरी की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के चैतन्य कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इस प्रकरण में दिनांक 19.11.2025 से अभिरक्षा में है तथा अभी अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

3. योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

4. उपरोक्त पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अनुसार दिनांक 05.11.2025 को परिवादी सुनिल कुमार ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह करीब

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
25.03.2026 22:21
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

पिछले सात वर्ष से सेठ जिन्नदास धर्मदास जैन पेठी जावाल में मैनेजर का काम करता है। दिनांक 05.11.2025 की रात्रि में अम्बावजी जैन मंदिर जावाल जहां पर रूपाराम जो रात्रि में मंदिर की निगरानी करता है तथा वहीं सोता है। रूपाराम माली ने हल्ला किया तब बाहर रास्ते से जा रहे पुजारी हरीश भाई रावल ने आवज सुनकर मंदिर के मेन गेट पर जाकर आवाज दी तो आवाज सुनकर मंदिर के घड़ाई के कारीगर अन्दर सो रहे थे उन्होंने गेट खोला तब हरीश भाई मंदिर के अन्दर गए, अन्दर जाकर देखा तो रूपाराम माली का कमरा बाहर से बंद था। तब उन्होंने रूपाराम के कमरे का दरवाजा खोला और उसे फोन किया तब वह घर से अकेला अम्बावजी जैन मंदिर जावाल गया, जहां पर रूपाराम माली ने बताया कि रात्रि में समय करीब 01.30 बजे से 02.00 बजे के करीब पांच–छः लोग मुंह बंधे हुए जवान उम्र के उसके कमरे के पास आए तथा वह खाट पर सोया हुआ था। उसके पास पड़े मोबाईल व छः–सात हजार रुपए ले लिए व उसे कमरे में बंद कर बाहर से कमरे का कुन्दा लगा दिया व मंदिर का गेट तोड़कर अन्दर चोरी की है जिस पर वह मंदिर के पुजारी देवेन्द्र भोजक के आने मंदिर में चैक किया तो मंदिर के तीनो गेटो के ताले टूटे हुए पाए व अन्दर मुख्य आदेश्वर भगवान, नमीनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान की मूर्तियो के ललाट के ऊपर लगी हुयी सोने की परत व मूर्तियो की भौहे, आंखे तिलक चांदी के व आदिनाथ भगवान की मूर्ति के चांदी का मुकूट, आगी, कुण्डल व तीन भण्डारे जिसमें करीब 30–35 हजार रुपए हांगे व अन्य मूर्तियों की आंखे, भौंहे तिलक भी अज्ञात चोरो द्वारा निकालकर व एक कमरे में लगी सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को भी कमरे का ताला तोड़कर ले गए। अज्ञात चोरो द्वारा मंदिर से करीब 10–11 किलो चांदी व 30–35 ग्राम सोना भगवान के मूर्तियो के जेवरात चोरी कर ले गए हैं। कवच, मुकुट व कुण्डल के पीछे की तरफ आदेश्वर भगवान जावाल खुदा हुआ है.....इत्यादि।

6. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 111(2), 127(2), 310(2) बी.एन.एस. का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप सुनाया जा चुका है। पुलिस द्वारा पेश की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में निम्न प्रकरण दर्ज होना बताया गया है :–

अभियुक्त जोशी उर्फ जोशीया का आपराधिक रिकॉर्ड				
क्र.सं.	मु. नं. व तारीख जुर्म धारा	पुलिस थाना	नतीजा	नतीजा अदालत

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
25.03.2026 22:21
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

01	02/02.01.2019 धारा 453, 380 भादस.	गुडाऐन्दला	19/30.03.2019	जैर ट्रायल
02	349/30.07.2019 धारा 323, 302, 392 भादस.	सुमेरपुर	89/10.05.2019	जैर ट्रायल
03	82/08.06.2018 धारा 453, 380 भादस.	नाना	75ए/11.02.2019	जैर ट्रायल
04	22/06.02.2019 धारा 399, 402 भादस.	नाना, पाली	12/26.02.2019	जैर ट्रायल
05	17/08.03.2019 धारा 453, 380 भादस	बरलूट, सिरोही	44/30.06.2019	जैर ट्रायल
06	19/28.01.2019 धारा 453, 380 भादस.	सायरा, जिला उदयपुर	35/24.04.2019	जैर ट्रायल
07	32/10.01.2019 धारा 453, 380 भादस.	सुमेरपुर, जिला पाली	326/31.12.2019	जैर ट्रायल
08	35/14.01.2019 धारा 453, 380 भादस.	सुमेरपुर जिला पाली	255/02.07.2019	जैर ट्रायल
09	02/13.01.2019 धारा 453, 380 भादस.	खिंवाडा	39/24.07.2019	जैर ट्रायल

अभियुक्त मोहन उर्फ मोवनाराम उर्फ दिनेश का आपराधिक रिकॉर्ड

क्र.सं.	मु. नं. व तारीख जुर्म धारा	पुलिस थाना	नतीजा	नतीजा अदालत
01	161/2018 धारा 379, 401 भा.दं.सं.	केवला	72/2019	जैर ट्रायल
02.	07/2021 धारा 379 भा.दं.सं.	डबोक	149/2021	जैर ट्रायल
03.	04/2021 धारा 457, 380 भा.दं.सं.	भीण्डर	12/2021	जैर ट्रायल
04.	01/2021 धारा 457, 380 भा.दं.सं.	पालड़ी	28/2021	जैर ट्रायल

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में काफी प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 19.11.2025 से अभिरक्षा में हैं तथा अभी अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व मामले की प्रकृति को देखते हुए इस स्तर पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को **सशर्त जमानत** का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जोशी उर्फ जोशीया व मोहन उर्फ**

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
25.03.2026 22:21
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

मोवनाराम उर्फ दिनेश की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. **स्वीकार किया जाकर** आदेश है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के समाधानप्रद व संतोषप्रद उस न्यायालय/विचारण न्यायालय में नियत प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए **पचास–पचास हजार रुपये की दो मोतबिर जमानते एवं एक लाख रुपए की राशि का बंध पत्र (एक जमानती आवश्यक रूप से प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार का सदस्य हो)** प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा दे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर आजाद कर दिया जावे, बशर्ते उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो। **साथ ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रत्येक पेशी पर इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आदेशित जाता है तथा आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के न्यायालय में पेशी पर उपस्थित न होने पर उनका हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, प्रत्येक पेशी पर अभियुक्तगण की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और इस आशय का नोट पत्रावली पर लाल स्याही से अंकित किया जावे।**

8. **इस आदेश की एक प्रति उपाधीक्षक जिला कारागृह सिरोही को अविलंब प्रेषित की जावे।**

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

9. आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपा गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
25.03.2026 22:21
Steno Gr. I
(Authenticated Document)